26 जनवरी, 2014 को आहूत

बाल विधानसभा में पारित प्रस्ताव

1. समाज कल्याण

1. केंद्र सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना को उत्तराखंण्ड में समग्रता से लागू करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में बाल गृह, शेल्टर होम और विशेष गृह बनाने की पहल करे और इनके संचालन के लिए योजना बना कर आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाय।

2. प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड और विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाइयों का पुनर्गठन 2 माह के भीतर किया जाय और गठन के साथ ही इनमें नामित पदाधिकारियों/सदस्यों के सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जांय। इन समितियों/बोर्डों में राजनैतिक लोगों को रखे जाने की शिकायतें आती रही हैं जिस से बाल कल्याण का मकसद कमजोर पड़ता है। चयन समिति को चाहिए कि वह बाल संरक्षण को मुख्य लक्ष्य रखकर समितियों का गठन करे।

3. समेकित बाल संरक्षण योजना में निहित सभी समितियों का प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर तत्काल प्रभाव से गठन किया जाय जिसमें योग्य नागरिकों और गैरसरकारी संगठनों से पदाधिकारी/सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जाय।

4. **सदन की सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि किषोर न्याय अधिनियम और बच्चों के सभी कानूनों के लागू करने और उनके अनुश्रवण से जुड़े सभी कार्य/दायित्वों को महिला और बाल विकास मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाय। समाजकल्याण से इन कार्य/दायित्व को महिला बाल विकास को हस्तांतरण किये जांए ताकि बच्चों से जुड़े सभी कार्य और कार्यान्वयन एक ही विभाग से संचालन हो सकें।**

2. श्रम विभाग

1. प्रदेश सरकार बाल मजदूरी रोकने के लिए समग्र कार्ययोजना बनाए इसके लिए पर्याप्त स्टाफ रखने की कार्यवाही की जाय। सभी जिलों में जिलाधीश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाकर सक्रिय किया जाए।

2. बाल कल्याण समितियों, पुलिस बल और श्रमायुक्तों के बीच सूचनाओं का आदान–प्रदान और कार्यवाही में ताल–मेल के लिए राजाज्ञा जारी की जाय।

3. बाहर से आने वाले मजदूरों का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए प्रत्येक निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सख्त हिदायत के साथ रिपोर्ट देने के लिए जिला स्तर पर जवाबदेही तय करने की व्यवस्था करने को कहा जाय। इसके लिए निर्देश जारी किये जाएं।

4. राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर बाल मजदूरी रोकने के लिए अधिसूचना जारी करे और बाल मजदूरी रोकने के लिए समग्र कार्ययोजना बनाने के साथ श्रम विभाग में इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करें।

5. यात्रा और पर्यटन काल में सघन अभियान चला कर बाल मजदूरी रोकने की सख्त व्यवस्था हो और इस तरह के कार्य करने के लिए विवश परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए जाए।

6. राज्य में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करा कर उन के पुनर्वास की योजना बनाई जाए।

3. **आपदा प्रबंधन –**

1. स्कूल निर्माण भूस्खलन और जंगली आग, गधेरों आदि खतरों से सुरक्षित जगहों पर हों और भूकम्प अवरोधी तकनीकी से इन भवनों का निर्माण हो। इसके लिए बच्चों और स्कूल प्रबंधन समितियों के सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके स्कूल विकास योजना में किया जाये। दक्ष गैरसरकारी एजेन्सियों से सहयोग लिया जाय।

2. दत्तक ग्रहण हो या अल्पकालिक पुनर्वास उसके लिए किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाय। इसके लिए सभी जिला अधिकारी और आपदा अधिकारियों को निर्देश दिये जांए।

3. किसी भी आपदा में समेकित बाल संरक्षण योजना और बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्चों को तत्काल संरक्षण दिया जाए और विशेषज्ञ ऐजेंसियों के माध्यम से आपदा बाद सघन मनोसामाजिक सहयोग किया जाय।

4 शिक्षा विभाग–

1. सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अनुपात ठीक किया जाय। पढ़ाई के नए माडल हमारे ही प्रदेश के गैरसैंण और उतरकाशी जिले में गैरसरकारी संस्था श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम और प्लान इंडिया ने विकसित किए हैं, जिसमें बच्चे स्वयं का मूल्यांकन आधारित शिक्षण अपनाया गया है और वे स्वअनुशासन अपना रहे हैं। इन माडलों को प्रदेश भर में लागू किया जाय।

2. बच्चों को स्थानीय स्तर पर खेले जा सकने वाले खेलों की सामग्री और प्रशिक्षण दिया जाए, जहां तक संभव हो सुरक्षित खेल के मैदान विकसित किये जायं जिनमें चारदिवारी हो।

3. स्कूलों में लगी सुझाव पेटियों को "मन की बात" नाम दिया जाय और इनमें बच्चे अपनी निजी जिंदगी की उलझने हों या स्कूल की समस्या वे निसंकोच लिख कर कह सकें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाय। ये मन की बात की पेटियां स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों में ही खोली जाएं और इनके समाधान के लिए समिति और अध्यापक गंभीरता से प्रयास करें। बच्चों की उलझने सुलझाने के लिए शिक्षक व्यक्तिगत कौंसलिंग करें इससे बच्चों और शिक्षकों के आपसी रिश्ते बनेंगे और शिक्षा स्तर भी सुधरेगा।

4. जनता की प्रबल भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन सही व्यक्तियों का चयन कर इन समितियों में हो। इन्हें शिक्षा अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम सहित सभी बाल कानूनों के प्रशिक्षण दिये जाय।

5 गृह विभाग/महिला सषक्तिकरण बाल विभाग–

1. प्रत्येक जिले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत विशेष अदालतें गठित हों जो बड़े लोगों द्वारा बच्चों पर किए जा रहे जुल्मों का संज्ञान ले और बाल कल्याण समितियों के अधिकार प्रयोग करने दिया जाय, इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप न हो।

2. सभी जिलों में राजस्व पुलिस को निर्देशित किया जाए कि बच्चों के मामले में कोई भी कार्यवाही/कार्रवाई किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही की जाए। इसमें पटवारी और राजस्व विभाग को प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए गैरसरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जाय और समेकित बाल विकास योजना में इसके लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।

3. विशेष किशोर न्याय पुलिस, किशोर न्याय से जुड़े न्यायधीशों और चिकित्सा अधिकारियों की पोक्सो और किशोर न्याय अधिनियम पर पुख्ता प्रशिक्षण दिया जाए। इस संबंध में महिला सशक्तिकरण गृह विभाग/समाज कल्याण विभाग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यशालाएं आयोजित करें।